

15.12.22

पत्रावली देना है।) बकुलाप (अपचित) बहम जो पत्र
 लक्ष की गई। बहम ने दौरान जारी वकील ने अपचर में
 भूमि तथो को दोहराया तथा कचन किया कि जारी के
 जारी पत्र में भूमि भूमि जोड़े रजिस्ट्रार विक्रयपत्र को
 की। पत्रावली द्वारा ने विक्रय पत्र में पत्रावली में नामान्तरण
 दर्ज करके सप्रप कुशीराम की जगह कुशीराम पुत्र धारीराम
 दर्ज कर दिया। अतः जो पत्र स्वीकार कर उक्तानुसार
 दुल्हनी करमापी जमै। अजारी ने जांच रिपोर्ट में
 भूमि तथो को दोहराया तथा कचन किया कि विक्रय
 पत्र में जारी का नाम खुशीराम पुत्र धारीराम है। अतः
 ग्राम कीरपुरा की खसरा सं नपा 96 के राजस्व रिकार्ड
 में जारी का नाम कुशीराम पुत्र धारीराम के स्थान पर
 खुशीराम पुत्र धारीराम दर्ज शुद्ध किया जाना उचित है।
 पत्रावली एवं दस्तावेज विक्रयपत्र, जांच रिपोर्ट का
 अवलोकन किया गया एवं बहम पर मनन किया गया।
 विक्रयपत्र में जारी का नाम खुशीराम पुत्र धारीराम
 दर्ज है। अतः ग्राम कीरपुरा के खसरा नं 540, 541,
 652, 653 कुल कित 4 कुल रकबा 5.13 है। भूमि में
 जारी का नाम कुशीराम पुत्र धारीराम की जगह खुशीराम
 पुत्र धारीराम दुल्हनी किया जाना उचित एवं न्यायोचित
 प्रतीत होता है।

आदेश

जारी का जारीना पत्र अ. धारा 136 LRACT स्वीकार
 किया जाता है तथा ग्राम कीरपुरा पंचार दस्तावेज के
 भूमि खसरा नम्बर 540, 541, 652, 653 कुल कित 4
 कुल रकबा 5.13 है। भूमि में जारी का नाम कुशीराम
 पुत्र धारीराम की जगह खुशीराम पुत्र धारीराम दुल्हनी
 किया जाता है। शेष खसरा प्रभावत रहेगा। तदनुसार
 गुण जोड़जी तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुल्हनी करें।
 पत्रावली फंसल द्वारा दोबर नम्बर ले कम हो तथा
 दाखिल पत्र हो।

WPE
 15/3/22

